बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या–8/गृह स्थल–04–04/2011–   (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय – बिहार गृह स्थल क्रय नीति, 2011 के अन्तर्गत टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत गृह विहिनों के लिए वास भूमि योजनान्तर्गत वर्ष–2015–16 में गृह विहिन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल 1,46,15,000/- रू0 (एक करोड़ छियालीस लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र) उपबंधित राशि व्यय की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 में गृह स्थल (टी0एस0पी0) योजनान्तर्गत 146.15 लाख रूपये का उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है।

3. राशि का व्यय विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जायगा।

4. गृह स्थल (टी0एस0पी0) योजना के लिए राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष 4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं एवं पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष–0101–गृह विहिनों के लिए वास भूमि, माँग सं0–40, विपत्र कोड–P404700796010I, विषय शीर्ष 5302 भू–अर्जन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. विभागीय संकल्प सं0–373(8) दिनांक–20.11.2014 द्वारा एम0भी0आर0 के आधार पर रैयती भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

6. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 (वि0) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में किया जायेगा।

7. राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जायेगी।

9. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0

D:\Sanjeev\sec.-8\Sencon order\TSP-15.07.15-II.doc

ज्ञापांक–8 / गृहस्थल–04–04 / 2011–   (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–........................

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / गृहस्थल–04–04 / 2011– 961 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक–21/7/15

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी समाहर्त्ता, बिहार / सम्बन्धित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार / बजट शाखा–5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

D:\Sanjeev\sec.-8\Sencon order\TSP-15.07.15-II.doc